लखनऊ विश्वविद्यालय,लखनऊ।

वित्त समिति का कार्यवृत्त

वित्त समिति की दिनांक 22 मार्च, 2012 को सायं 4.00 बजे आहूत की गयी बैठक में उपस्थिति निम्नवत् है:–

उपस्थिति

1.	प्रो0 एम. के. मिश्र	कुलपति	अध्यक्ष
2.	श्री अवनीश कुमार अवस्थी	सचिव उच्च शिक्षा,, उ0प्र0 शासन	सदस्य
3.	प्रो0 यू. एन. द्विवेदी	प्रति–कुलपति	सदस्य
4.	श्री विद्यासागर शुक्ल	विशेष सचिव {वित्त} उ0प्र0 शासन।	सदस्य
5.	श्री आर. पी. सिहं	कुलसचिव {कार्यवाहक}	सदस्य
6.	प्रो0 यशवीर त्यागी	परीक्षा नियंत्रक	सदस्य
7.	श्री अशोक कुमार	वित्त अधिकारी	सचिव सदस्य

बिन्दु संख्या–1

वित्त समिति की गत बैठक दिनांक 07 जुलाई, 2011 की कार्यवृत्त की सर्वसम्मति से पुष्टि की गयी तथा अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–2

{क} लखनऊ विश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक (बजट) पर चर्चा प्रारम्भ करते हुए विश्वविद्यालय में गत सत्र में शून्य शुल्क प्रवेशित छात्रों की शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु जिला समाज कल्याण कार्यालय से सम्पर्क कर शुल्क प्रतिपूर्ति की जाये तथा प्रगति सूचना 15 दिन के अन्दर सचिव, उच्च शिक्षा को उपलब्ध करायी जाये।

{ख} लखनऊ विश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक (बजट) पर चर्चा प्रारम्भ करते हुए विश्वविद्यालय में गत सत्र में शून्य शुल्क प्रवेशित छात्रों की शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु जिला समाज कल्याण कार्यालय से सम्पर्क कर शुल्क प्रतिपूर्ति की जाये तथा प्रगति सूचना 15 दिन के अन्दर सचिव, उच्च शिक्षा को उपलब्ध करायी जाये। वर्ष 2011–12 के पुनरीक्षित अनुमान एवं वित्तीय वर्ष 2012–13 के आयोजनेत्तर बजट पर चर्चा की गई। कतिपय मदों में वर्ष 2011–12 के पुनरीक्षित अनुमान एवं वर्ष 2012–13 हेतु बजट अनुमान के अन्तर्गत उल्लिखित धनराशि गत वर्षों के वास्तविक व्यय के सापेक्ष बहुत अधिक है। वर्ष 2010–11 में वार्षिक अनुरक्षण/लघु निर्माण कार्य में मात्र रू0 1.19 करोड़ व्यय हुआ है। वर्ष 2011–12 की प्रथम छमाही में भी मात्र रू0 2.15 करोड़ का व्यय है। इस आधार पर रू0 7.00 करोड़ की व्यवस्था अधिक है। निर्णय लिया गया है कि वर्ष 2011–12 में इस मद में रू0 7.00 करोड़ के स्थान पर रू0 3.00 करोड़ की धनराशि रखी जाय। इसी प्रकार शुल्क आदि की वापसी में रू0 9.95 करोड़ का प्राविधान वास्तविक व्यय के सापेक्ष अत्यधिक है। इसे रू0 6.00 करोड़ के स्तर पर निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया। परीक्षा संचालन व्यय में भी रू0 5.00 करोड़ के स्थान पर रू0 4.00 करोड़ का पुनरीक्षित व्यय अनुमान स्वीकृत किया गया। विभिन्न मदों में वर्ष 2010–11 के वास्तविक व्यय एवं वित्तीय वर्ष 2011–12 के प्रथम छमाही के व्यय के सापेक्ष वर्ष 2011–12 में पुनरीक्षित व्यय अनुमान लगभग रू0 10.00 करोड़ घटाते हुए रू0 111.50 करोड़ के स्तर पर निर्धारित करने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

{ग} वित्तीय वर्ष 2012–13 के बजट में रू0 127.00 करोड़ के स्थान पर रू0 119.26 करोड़ की धनराशि का प्राविधान उपयुक्त पाया गया।

{घ} लखनऊ विश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक आयोजनागत पर विचार–विमर्श कर सहमति प्रदान की गयी।

{ड} कला एवं शिल्प महाविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय के आय–व्ययक आयोजनेत्तर, आयोजनागत के साथ–साथ महाविद्यालय में संचालित स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों के आय–व्ययक परं सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

<u>बिन्दु संख्या –3</u>

लखनऊ विश्वविद्यालय में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/वाहन चालक एवं सुरक्षा प्रहरी को वर्दी धुलाई की पूर्व स्वीकृत दर रू0 12/– से रू0 20/–एवं रू0 15/– के स्थान पर रू0 30/– किये जाने पर समिति द्वारा विचार–विमर्श कर इसे कुलसचिव के पत्र संख्या 3687–750 दिनांक 13 फरवरी, 2012 से अनुमन्य किये जाने पर सहमति प्रदान की गयी।

<u>बिन्दु संख्या –4</u>

लखनऊ विश्वविद्यालय में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वर्ष 2009 की शीतकालीन वर्दी {परिचर, वाहन चालक एवं सुरक्षा प्रहरियों आदि} को दिये जाने के प्रस्ताव पर कि शीत कालीन वर्दी के एवज में बाजार दर के अनुरूप कपड़े हेतु कुलसचिव के पत्र संख्या आर./4279–83/12 दिनांक 23 फरवरी, 2012 पर सहमति व्यक्त की गयी तथा वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 की ग्रीष्मकालीन/शीतकालीन वर्दी शासनादेश जी.–1017/बीस–7–वि.–2011–1 यू.पी.{1}/2011 दिनांक 29 नवम्बर, 2011 के अनुसार सचिवालय के समरूप वर्दी दिये जाने पर सहमति प्रदान की गयी।

<u>बिन्दु संख्या–5</u>

सृजित पदों के सापेक्ष वित्त वेतन आयोग अनुभाग–2 के शासनादेश दिनांकः 23.12.2010 के अनुसार सेवा के निरन्तरता की तिथि से ए0सी0पी0 लाभ दिया जाय। इस प्रकार के पात्र कर्मचारियों को दिनांकः 15.04.2012 तक ए0सी0पी0 का लाभ दिया जाना सुनिश्चित कर लिया जाय तथा जो आदेश जारी किये जाय, उनमें वेतनमान व ग्रेडपे तथा ए0सी0पी0 के स्तर (प्रथम/द्वितीय/तृतीय) का उल्लेख किया जाय। असहमत। वित्त विभाग के शासनादेश 23.12.2010 के प्रस्तर-2 के अनुसार नियमित नियुक्ति की तिथि से अनवरत सन्तोषजनक सेवा के आधार पर ए.सी.पी. का लाभ दिये जाने की व्यवस्था है। अतः प्रकरण शासन को संदर्भित करते हुए वित्त वेतन आयोग का परामर्श प्राप्त किया जाना चाहिए।

<u>विन्दु संख्या–6</u>

दिनांकः 25.09.2001 तक नियुक्त अनानुमोदित कर्मचारियों को वेतनमान दिये जाने के संबंध में 80 कर्मचारियों को यह लाभ विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया है। उनके प्रमाणित सेवा अभिलेख/विवरण के साथ प्रस्ताव पुनः रखा जाय। असहमत। वेतनमान नियमित नियुक्त पूर्णकालिक कर्मचारियों को ही दिये जाने का प्राविधान है। अनानुमोदित कर्मचारियों को नहीं। अतः प्रकरण शासन को संदर्भित करते हुए वित्त विभाग का परामर्श प्राप्त किया जाना चाहिए।

<u>बिन्दु संख्या –7</u>

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ में दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्य कर रहे तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को प्रतिदिन दी जा रही मजदूरी की दर कमशः रू0 81/– एवं रू0 100/– को शासन के अनुरूप संशोधित करते हुए कमशः रू0 120/– एवं रू0 140/– प्रतिदिन मजदूरी दिये जाने सम्बन्धी कुलसचिव कार्यालय के पत्र संख्या आर.4188–4268/12 दिनांक 21 फरवरी, 2012 से दिये जाने पर कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी।

<u>बिन्दु संख्या–8</u>

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के नियत वेतन पर कार्यरत कर्मचारियों को वर्तमान में कमशः रू0 6000/– एवं 4500/– की दर से प्रतिमाह किये जा रहे भुगतान में बढ़ोत्तरी कर कमशः रू0 7200/– एवं रू0 5400/– प्रतिमाह किये जाने सम्बन्धी प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। प्रस्तुत प्रस्ताव पर 30 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी करने पर सहमति दी गयी। इस प्रकार नियत वेतन पर कार्यरत तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को 6000/– के स्थान पर रू0 7800/– एवं

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को रू0 4500/– के स्थान पर 6000/– प्रतिमाह दिये जाने पर (माह अप्रैल ,2012 पेड इन मई, 2012 से) सहमति प्रदान की गई।

बिन्दु संख्या–9

यह अवगत कराया गया कि निधि की धनराशि कर्मचारियों की है। अतः यह निर्णय लिया गया कि लखनऊ विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों को प्रथम वेतन अग्रिम के रूप मे दिये जा रहे रू0 30,000/– को बढ़ाकर रू0 50,000/– किये जाने एवं द्वितीय वेतन अग्रिम के रूप दी जान वाली धनराशि मात्र 30,000/– किये जाने पर विचार–विमर्श कर इस शर्त के साथ सहमति प्रदान की गयी कि भविष्य में इस मद में सामान्य निधि खाते से कोई भी धनराशि हस्तांतरित नही की जाएगी।

बिन्दु संख्या–10

वित्त वेतन आयोग के शासनादेश दिनांकः 27.01.2011 में दी गई व्यवस्था के अनुसार विनियमित किये जाने वाले 33 कर्मचारियों का प्रमाणित विवरण एवं इस हेतु रिक्त पदों की स्थिति शासन को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाय जिसमें उनकी नियुक्ति की प्रकृति, देय वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो।

बिन्दु संख्या–11

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ के वित्तीय वर्ष 2009–10 को आर्थिक चिट्ठा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया समिति ने विचार–विमर्श कर सहमति प्रदान की।

बिन्दु संख्या–12

अध्यक्ष की सहमति से वित्त समिति की बैठक में निम्न बिन्दुओं पर विचार–विमर्श करके सहमति प्रदान की गई :–

1– विश्वविद्यालय के वर्ष 2008–09, 2009–10, 2010–11 के लेखों का अभी तक विश्वविद्यालय द्वारा आडिट नहीं कराया गया है। यह घोर वित्तीय अनियमितता है। विश्वविद्यालय की आडिटेड बैलेन्स शीट बनाकर प्रेषित की जाय। अगली वित्त समिति में 2008–2009 व 2009–2010 की आडिट बैलेन्स शीट प्रस्तुत की जाय। वित्त अधिकारी यह सुनिश्चित करें अन्यथा अगली बैठक में दोषी सम्बन्धित का विवरण रखें।

2– स्थानीय निधि लेखा एवं महालेखाकार की आडिट रिपोर्ट में लम्बित प्रस्तरों का निराकरण करते हुए विवरण अगली वित्त समिति के समक्ष रखा जाय। शासन को प्रथम आख्या एक सप्ताह में भेज दी जाय।

3– विश्वविद्यालय द्वारा लगभग 10 वर्षों से विश्वविद्यालय की आडिट के फलस्वरूप सम्परीक्षा शुल्क का भुगतान स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग को नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग द्वारा शासन से भी अनुरोध किया गया है और विश्वविद्यालय द्वारा इस शुल्क की मांग शासन से की जा रही है। सम्परीक्षा शुल्क का भुगतान किया जाना विश्वविद्यालय का दायित्व है। अतः वर्ष 2012–13 के विश्वविद्यालय के बजट में रू0 1.00 करोड़ का प्राविधान कराकर भुगतान किया जाय।

4– विश्वविद्यालय में शासन की व्यवस्था के अनुसार विभिन्न पाठ्यक्रमों में जीरो फीस के आधार पर कुछ छात्रों का प्रवेश लिया जाता है। इससे होने वाली क्षति अथवा इसकी प्रतिपूर्ति समाज कल्याण विभाग की जाती है। जीरो फीस का पूरा विवरण वित्त समिति के समक्ष रखा जाय।

5– आकस्मिक व्यय में लेने वाला व्यय कुलपति को अवलोकित कराकर प्राविधान कराया जाय।

6– विश्वविद्यालय द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया कि 03 गाड़ी एवं एक वैन का क्रय किया जाना विश्वविद्यालय के लिए आवश्यक है। ये वाहन स्ववित्त पोषित कोर्स से प्राप्त आय से किया जाना प्रस्तावित किया गया है। अतः वाहन क्रय करने के मद में रूपये 25.00 लाख का प्राविधान

इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया कि विश्वविद्यालय नियमानुसार उनकी कार्यवाही सम्पन्न कराएं।

7– स्ववित्त पाठ्यक्रमों का पुनरावलोकन कर लिया जाय एवं जो पाठ्यक्रम लाभदायक नहीं रह गये है उसे बन्द कर दिया जाय तथा उस पाठयक्रम में नियुक्त कर्मचारियों को आवश्यकतानुसार रिडिप्लायमेन्ट किया जाय।

8– स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों में प्रवेश एवं लोकप्रियता के संबंध में लोगो को अवगत कराये जाने हेतु प्रचार के मद में रू0 50.00 लाख का प्राविधान किया जाय।

9– सभी कर्मचारी (चाहे वह सृजित पदों के सापेक्ष कार्यरत हो अथवा अनानुमोदित पर कार्यरत हो) को एक यूनीक कोड आबंटित किया जाय। यूनिक कोड के आबंटन के पश्चात ही अप्रैल माह का वेतन बिल मई माह में कर्मचारियों को वेतन भुगतान किया जाय। इस आदेश का कड़ाई से पालन हो। मा0 उच्चतम् न्यायालय की जनहित याचिका सचिन राणा बनाम उत्तर प्रदेश सरकार में दिये गये निर्देश के अनुसार इनका विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अंकित किया जाय।

10– शासन स्तर से सभी विश्वविद्यालयों में डबल इन्ट्री सिस्टम लागू किये जाने के आदेश दिये गये है परन्तु लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा इसका पालन नहीं किया जा रहा है। अतः तत्काल डबल इन्ट्री सिस्टम लागू किया जाय और वित्त समिति को अवगत कराया जाय।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन करने के पश्चात समिति की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

{प्रो0 यशवीर त्यागी}
परीक्षा नियंत्रक

{आर. पी. सिंह}
कुलसचिव

{विद्यासागर शुक्ल}
विशेष सचिव {वित्त}
उ0 प्र0 शासन।

{अशोक कुमार}
सचिव सदस्य

{प्रो0 यू. एन. द्विवेदी}
प्रति–कुलपति

{अवनीश कुमार अवस्थी}
सचिव उच्च शिक्षा,
उ0प्र0 शासन।

{प्रो0 एम. के. मिश्र}
कुलपति